उत्तर उजाला

वर्ष 45 अंक 305 नैनीताल, शुक्रवार 23 सितम्बर 2022 (संवत् 2079) पृष्ठ 8 डाक पंजी. सं. यू.ए./नैनीताल/26/2021-2023 मूल्य 3.00 रु.

आराध्या को चॉकलेट गिफ्ट कर मनाते हैं अमिताभ -6 झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई देने की तैयारी- 7

पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा

13 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी, 106 कार्यकर्ता गिरफ्तार

- आतंकवाद के लिए पैसे से लेकर ट्रेनिंग देने तक के आरोप
- हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ ही लोगों का ब्रेनवॉश

नई दिल्ली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है।

एनआईए की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में चल रही है। कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। एनआईए अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई है। लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को सूचना मिली कि कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से पीएफआई बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ ही लोगों का ब्रेनवॉश भी किया जा रहा था। जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई है। फुलवारी शरीफ में पीएफआई सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी। एनआईए की छापेमारी के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ता केरल के मल्लपुरम, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मंगलुरू में सड़कों पर उतर आए। केरल में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इधर पीएफआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है। जुलाई में पटना (शेष पृष्ठ 6 पर)

पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करती पुलिस

तापमान	आज		कल संभावित	
शहर	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.
दिल्ली	28	26	27	25
लखनऊ	31	26	31	26
नैनीताल	18	15	16	14
देहरादून	25	23	27	22
बरेली	29	24	28	24

सोना (10 ग्राम)	चांदी (प्र. किग्रा.)
50,399	58,580

रुपये की विनिमय दर	
पाउण्ड	91.27
यूरो	79.61
डालर (यूएस)	81.07
स्विस फ्रेंक	82.54
एमीरट्स-दरहम	22.07

अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को एक बैठक की। समझा जाता है कि बैठक में पीएफआई से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी तथा आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गयी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। शाह ने आतंकवाद के संदिग्धों और पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ देशभर में की गयी कार्रवाई का जायजा लिया।

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब मामले पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी गयी है। उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा था कि यह (हिजाब) इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। राज्य सरकार ने पांच फरवरी 2022 को दिए आदेश में स्कूलों तथा कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले वस्त्रों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गयी है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रधानमंत्री ने की बद्री-केदार में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा

श्रद्धालुओं को मिले प्रत्येक मूलभूत सुविधा

निकटवर्ती क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर जोर

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से बदरीनाथ एवं केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से इस बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ एवं बदरीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। केदारनाथ के निकटवर्ती स्थानों को भी आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना होगा। रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच श्रद्धालुओं को ठहरने एवं कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वासुकीताल, गरुड़ चट्टी, लिंचोली और उनके आस-पास श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ के साथ ही आस-पास के क्षेत्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भी योजना बनाई जाए। माणा गांव एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को रूरल टूरिज्म के लिए विकसित करने की दिशा में ध्यान दिया जाए। इनमें स्थानीय कल्चर एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ईकोनॉमी का अच्छा मॉडल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ एवं बदरीनाथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सेवकों एवं डॉक्टरों से भी अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए। सरकारी व्यवस्थाओं के साथ जन सहयोग भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत रात-दिन कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2023 (शेष पृष्ठ 6 पर)

पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रामनगर में कुमाऊं के एकमात्र मानसिक दिव्यांग बच्चों के आवासीय विद्यालय में बच्चों के उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस की ढिलाई पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता की टीम गठित कर आज ही रामनगर जाकर स्कूल की जांच करने और शाम तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही कोतवाल रामनगर को टीम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के कड़े आदेश दिए। कोर्ट ने शुक्रवार को एसएसपी नैनीताल व कोतवाल रामनगर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हल्द्वानी की दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली रोशनी सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। याचिका में कहा गया है कि रामनगर में यूएसआर इंदु समिति का मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों का आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय में लंबे समय से बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बताया गया कि बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं (शेष पृष्ठ 6 पर)

दो उप महाधिवक्ताओं और ब्रीफ होल्डर की सेवा समाप्त

नैनीताल। हाईकोर्ट में शासन की ओर से नियुक्त दो उप महाधिवक्ताओं अमित भट्ट, शेर सिंह अधिकारी व ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट की सेवा समाप्त कर दी गयी है। सचिव न्याय व विधि परामर्शी धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। गुरुवार को सचिव न्याय व विधि धनंजय चतुर्वेदी की ओर से शासकीय अधिवक्ता को भेजे पत्र में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा कई फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं/जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि में राज्य की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

इसमें कहा गया है कि फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं/जमानत प्रार्थना पत्रों आदि में जिस भी विधि अधिकारी को शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद में राज्य का पक्ष रखने के लिए प्रथम बार नामित किया गया हो, उसे अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जिससे उक्त वाद में पैरवी करने वाले संबंधित विभाग के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो तथा जो भी विधि अधिकारी वाद की स्थिति से भिज्ञ हो वे ही अग्रिम नियत तिथियों में राज्य का पक्ष रखे। विधि अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। संबंधित विधि अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिन मामलों में उन्हें राज्य की ओर से नामित किया गया है, उनमें उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व राज्य के संबंधित विभाग जैसे- पुलिस, राजस्व इत्यादि से प्रतिशपथपत्र/पूरक शपथपत्र इत्यादि की सूचना प्रेषित कर प्रतिशपथत्र इत्यादि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

संघ प्रमुख भागवत ने किया मस्जिद का दौरा

नयी दिल्ली। मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया तथा ऑल इडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के साथ चर्चा की। इमाम संगठन के प्रमुख ने दोनों की मुलाकात के बाद भागवत को राष्ट्रपिता कहा।

मदरसे में बच्चों से की बात, इमाम संगठन प्रमुख ने बताया राष्ट्रपिता

आरएसएस के सरसंघचालक मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद में गए और उसके बाद उन्होंने उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में मदरसा तजावीदुल कुरान का दौरा भी किया। भागवत के साथ दौरे में मौजूद संघ के एक अधिकारी ने बताया कि यह पहला मौका है, जब सरसंघचालक ने किसी मदरसे का दौरा किया है। पदाधिकारी के अनुसार ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे के बच्चों से बातचीत के दौरान भागवत को राष्ट्रपिता बताया। हालांकि भागवत ने तत्काल टोका और कहा कि देश में एक ही राष्ट्रपिता हैं और बाकी सभी भारत की (शेष पृष्ठ 6 पर)